The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] No. 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 1998/आषाढ़ 9, 1920 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 1998/ASADHA 9, 1920

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून,1998

सा.का.नि. 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47), तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी, (से की साधारण शर्तें) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधरण शर्ते) संशोधन नियम, 1998 है।
 - (2) ये राजेपत्र में प्रकाशनं की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शतें) नियम, 1984 में
 - (i) नियम 16 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात्:—
 - "(1) किसी कर्मचारी की बोर्ड की सेवा से निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी और वह उस मास के अन्तिम दिन के, जिसमें रें निवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, अपराह्न से सेवा निवृत्त होगा :

परन्तु ऐसा कर्मचारी जिसकी जन्म की तारीख किसी मास का प्रथम दिन है तो वह उस मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिस्र है 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा निवृत्त होगा''।

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. जी,-35012/1/98-वित्त-]

ं रवि सक्सेना, संयुक्त सचिव और विलीय सला**ह**़


पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में 12 जुलाई, 1984 के सा.का.नि. सं. 509(अ) में प्रकाशित किये गये थे तासरचात सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1988 एवं सं. सा.का.नि. सं. 24(अ) दिनांक 13 जनवरी 1988 द्वारा संशोधन किये गये थे

1807 CU98

MINISTRY OF PETROLEUM A 4D NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1998



- 1. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Emplyees' (General Conditions of Strvice)
 Amendment Rules, 1998.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984-
 - (i) in rule 16, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:
 - "(1) The age for retirement from the service of the Board for an employee shall be 60 years and he shall retire from the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of retirement:

Provided that an employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 60 years".

(ii) Sub-rule (2) shall be omitted.

[File No. G-35012/1/98-Fin.II]

RAVI SAXENA, Jt. Secy. and Financial Adviser

Foot Note.—The principal rules were published vide Notification No. GSR 509(E) dated the 12th July, 1984, Gazette of India (Extraordinary) Part II—Section 3(i) and subsequently amended vide notification No. GSR 23 (E) dated 12th January, 1988 Gazette of India, (Extraordinary) Part II—Section 3(i) and GSR 24(E) dated 13th January 1988, Gazette of India, (Extraordinary) Part-II—Section 3(i).